CNR NO- **UPRN12-000152-2020**

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०),भोगनीपुर , कानपुर देहात ।

मूल वाद सं०–07/2020

श्रीबाबू बनाम मोहम्म्द मुबीन ।

दिनांक 03–03–2025

पत्रावली पेश हुई । वाद पुकारा गया । पुकार पर पक्षकारगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । वाद बिन्दु सं० 2 व 3 पर सुना गया ।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 2

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सँख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि–

क्या वादी का वाद अल्पमूल्यांकित ?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवाक पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा वाद बिन्दु सं० 2 पर तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा वाद का मूल्याँकन कम किया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि वाद का मूल्याँकन सही किया गया है। पक्षों की सुनवाई एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बैनामा निरस्त्रीकरण के बाबत संस्थित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादी द्वारा वाद का मूल्याँकन कम किया गया है। मुंसरिम आख्या के अनुसार भी वादी द्वारा वाद का उचित मूल्याँकन किया गया है। अतः वाद बिन्दु सं० 2 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सँख्या–3

न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु सँख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि–

क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है ?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवाक पर विरचित किया गया है जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा वाद बिन्दु सं० 3 के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि वादी द्वारा प्रदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है। मुंसरिम आख्या के अनुसार भी वादी द्वारा पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद बिन्दु सं० 3 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 हेतु दिनांक 21–04–2025 को पेश हो ।

दिनांक 03–03–2025

(सुनील गुप्ता)
सिविल जज (जू०डि०)
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

I.D.No–UP3805

Digitally signed by SUNIL GUPTA
Date: 2025.03.12 12:36:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court